

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

तहसील अधिकारी- ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

प्राथना-पत्र संख्या : 31/2025

दिनांक : 30.04.2025

GCMS NO : 2025/75

अनूप सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्राथी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्राथी अधिवक्ता मोहनलाल बिस्सु उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेंरोकार राज उपस्थित।

---निर्णय:---

संक्षिप्त में प्राथना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्राथी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, कारत, उपयोग-उपभोग के खेत खाता संख्या 256 के खसरा संख्या 301 तादादी 6.1075 हैक्टेयर, खसरा संख्या 575 तादादी 3.8946 हैक्टेयर, खसरा संख्या 573 तादादी 3.5406 हैक्टेयर, खसरा संख्या 574 तादादी 3.9199 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 17.4626 हैक्टेयर वाके रोही मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिसे प्राथना-पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्राथी ने प्राथना-पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्राथी का नाम नोपसिंह पुत्र बिशनसिंह दर्ज है, जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्राथी का वास्तविक व सही नाम अनूप सिंह पुत्र बिशनसिंह है।

प्राथी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्राथी को मिलने वाले सरकारी लाभ/आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्राथी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्राथना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करायें।

प्राथना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम मलसीसर में प्राथी का नाम नोपसिंह पुत्र बिशनसिंह दर्ज है। जबकि प्राथी के दस्तावेजों में नाम अनूपसिंह पुत्र बिशनसिंह है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्राथी का नाम अनूपसिंह पुत्र बिशनसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी का सही तथा वास्तविक नाम अनूप सिंह पुत्र बिशन सिंह ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्राथना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथना-पत्र प्राथी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 256 के खसरा संख्या 301

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़



तादादी 6.1075 हैक्टेयर, खसरा संख्या 575 तादादी 3.8946 हैक्टेयर, खसरा संख्या 573 तादादी 3.5406 हैक्टेयर, खसरा संख्या 574 तादादी 3.9199 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 कुल तादादी 17.4626 हैक्टेयर गाके रोही मलसीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरु में दर्ज नोपसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर खातेदार के स्थान पर अनूपसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर खातेदार दर्ज किया जाये। इन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।



आम्रकामा वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ